सोशल आडिट

मार्गदर्शिका

(Guidelines)

इन्दिरा आवास योजना

2015–16

(तृतीय संस्करण)

सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0

लखनऊ–226 001

एवं

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0

जनसहभागिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही केन्द्र

लखनऊ –226 202

संरक्षण

एन0 एस0 रवि
आई.ए.एस.
महानिदेशक

मार्गनिर्देशन

राजवर्धन
निदेशक

तकनीकी निर्देशन

गुरजीत सिंह, सलाहकार, भारत सरकार
दिग्विजय सिंह, सलाहकार, भारत सरकार

संकलन एवं सम्पादन

शंकर सिंह
आई.ए.एस.(से0नि0)
सोशल आडिट परामर्शी

कृष्ण गोपाल
अपर निदेशक (वित्त)

उमेश मणि त्रिपाठी
पी.डी.एस.
उपायुक्त (सोशल आडिट)

डा. ओ.पी. पाण्डेय
केन्द्र निदेशक

डा. राज किशोर
प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी

तृतीय संस्करण – दिसम्बर 2015

© एस.आई.आर.डी.यू.पी. एवं सो.आ.नि.यू.पी.

प्राक्कथन

गॉव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, जिनके पास रहने योग्य मकान नहीं है, को भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित इन्दिरा आवास योजना से आच्छादित किया जाता है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ बी0पी0एल0 परिवार के स्थाई पात्रता सूची में सम्मिलित लोगों को प्राप्त हो रहा है, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की दिशा में सोशल आडिट एक प्रयास है। इस योजना का क्रियान्वयन पारदर्शिता, जनसहभागिता एवं जवाबदेही के साथ संपन्न करना योजना से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का परम दायित्व है। इस दिशा में सोशल आडिट की महत्वपूर्ण भूमिका है।

वर्ष 2012–13 से अपना सफर प्रारम्भ कर अब उत्तर प्रदेश में सोशल आडिट निदेशालय ने निरन्तर नये आयाम बनाते हुए जनमानस में जागरूकता पैदा करने में सफलता प्राप्त की है। यह उत्साहवर्धक है कि गत् दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में 30 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट संपन्न हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने प्रदेश में सोशल आडिट के क्षेत्र में हुए कार्य को प्रशंसित किया है।

हमारा लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में सोशल आडिट को पहले से भी अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं सार्थक बनाने की दिशा में काम किया जाए। जनपद तथा विकास खण्ड के संबंधित अधिकारियों एवं सोशल आडिट टीमों के इन्दिरा आवास योजना और सोशल आडिट के सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी होना सोशल आडिट के सार्थक एवं गुणवत्तापूर्ण होने की गारण्टी है। इसी दृष्टिकोंण से यह सोशल आडिट मार्गदर्शिका (इन्दिरा आवास योजना) तृतीय पुनरीक्षित संस्करण, 2015–16 तैयार की गई है। यह पुस्तिका जनपद के सभी संबंधित अधिकारियों से लेकर सोशल आडिट टीम के सदस्यों के लिए उपादेय होगी। अतः उनके द्वारा इसका अध्ययन–मनन अवश्य किया जाना चाहिए।

इस मार्गदर्शिका को वर्तमान पुनरीक्षित एवं अद्यतन रूप देने में श्री शंकर सिंह, सोशल आडिट परामर्शी, श्री कृष्ण गोपाल, अपर निदेशक (वित्त), श्री उमेश मणि त्रिपाठी, उपायुक्त (सोशल आडिट) का योगदान रहा है। इसे तैयार करने में निदेशालय के कर्मचारियों ने पूर्ण सहयोग दिया है। दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान (SIRD), बक्शी का तालाब, लखनऊ ने पुस्तिका के तैयार करने में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। संस्थान के डा0 ओ0पी0 पाण्डेय, संयुक्त निदेशक, डा0 राज किशोर, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी को हृदय से आभार। अंत में मैं संस्थान के महानिदेशक, श्री एन0एस0 रवि को विशेष रूप से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनके संरक्षण एवं मार्गदर्शन में पुस्तिका का प्रकाशन सम्भव हो सका है।

मार्गदर्शिका को बेहतर बनाने के लिए आपके विद्वत सुझावों का स्वागत है।

राजवर्धन
निदेशक,
सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0।

इन्दिरा आवास योजना

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1.	**इन्दिरा आवास योजना**	**1**
1.1	भूमिका	1
1.2	मकान हेतु भूमि का चयन	1
1.3	लाभार्थियों का चयन	1
1.4	वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक के लिए निर्देश	2
1.5	वरीयता	2
1.6	वरीयता सूची को अन्तिम रूप दिया जाना	3
1.7	आवास हेतु अनुदान की राशि	3
1.8	स्वीकृति पत्र जारी करना और प्रथम किश्त की रिलीज	4
1.9	मकानों का आवंटन	4
1.10	निर्माण	4
1.11	डिजाइन एवं निर्माण मानक	4
1.12	निर्माण की समय–सीमा	5
1.13	निर्माण पूरा किया जाना	5
1.14	लाभार्थियों को भुगतान	5
1.15	तालमेल–	5
	(क) शौचालय	5
	(ख) पेयजल	6
	(ग) बिजली	6
	(घ) भूमि विकास	6
	(ड.) सामाजिक सुरक्षा	6
	(च) सड़क सम्पर्क	6
1.16	पंचायतों की भूमिका	7
1.17	शिकायत निवारण	7
1.18	इन्दिरा आवास योजना का सोशल आडिट किया जाना	7–8
1.19	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सोशल आडिट हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना का प्रपत्र	9
2.	**इन्दिरा आवास योजना का सोशल आडिट : परीक्षण के बिन्दु/ड्राफ्ट प्रतिवेदन**	**10**
2.1	सामान्य सूचना	10
2.2	सोशल आडिट टीम द्वारा परीक्षणीय बिन्दु	11–14
3.	**इन्दिरा आवास योजना का सोशल आडिट–ग्राम सभा की बैठक के कार्यवृत्त का नमूना**	**15–20**
4.	**इन्दिरा आवास योजना सोशल आडिट का निष्कर्ष एवं संस्तुतियां**	**21–22**

अध्याय–1
इन्दिरा आवास योजना

1.1 भूमिका

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत नए मकान का अर्थ ऐसा बनाया गया मकान है, जिसका 'निर्मित क्षेत्र' शौचालय को छोड़कर कम से कम 20 वर्ग मीटर हो। वह मकान मुनासिब रखरखाव से कम से कम 30 वर्ष तक रहन–सहन और मौसमी परिस्थितियों सहित प्राकृतिक कारणों से होने वाली सामान्य टूट–फूट को सहन कर सके। उसकी छत स्थाई सामग्री की बनी होनी चाहिए और दीवारें स्थानीय मौसमी परिस्थितियों को सहने में सक्षम होनी चाहिए।

1.2 मकान हेतु भूमि का चयन

जमीन का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह जमीन सड़क संपर्कों, पेयजल की उपलब्धता, सार्वजनिक संस्थाओं से निकटता इत्यादि की दृष्टि से उपयुक्त हो। यदि लाभार्थी जमीन खरीदने के लिए इच्छुक हो तो विधिवत सत्यापन के बाद पात्रतानुसार राशि की प्रतिपूर्ति उसे की जा सकती है जो रु0 20,000/– तक होगी।

1.3 लाभार्थियों का चयन

इस योजना की लागत में भारत सरकार और राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में धन उपलब्ध कराती रही हैं। 60 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित है। 15 प्रतिशत निधियां अल्पसंख्यकों के लिए है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 3 प्रतिशत लाभार्थी विकलांग व्यक्तियों में से हों। यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से किसी एक श्रेणी के पात्र लाभार्थी उपलब्ध न हों तो इन दोनों श्रेणियों के लक्ष्य एक–दूसरे के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं और इस आशय का प्रमाण–पत्र भी दिया जाएगा। अल्पसंख्यक लाभार्थियों का चयन मौजूदा स्थाई प्रतीक्षा सूची से किया जाएगा।

1.4 वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए निर्देश

वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थी स्थाई प्रतीक्षा सूची में अधिकांश जनपदों में उपलब्ध नहीं थे। इस कारण वित्तीय वर्ष (2014–15) में भारत सरकार की अनुमति से यह अनुमन्यता प्रदान की गई थी कि जनपदों में जिन प्रकरणों में स्थाई प्रतीक्षा सूची संतृप्त हो गयी है उन प्रकरणों में स्थाई प्रतीक्षा सूची के परिवारों को split करते हुए एक बी0पी0एल0 परिवार (बी0पी0एल0 नं0) से एक अतिरिक्त परिवार, जो अलग रहता हो, उसे इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिया जा सकता है। यदि किसी बी0पी0एल0 परिवार को split करने के पश्चात् परिवार के मुखिया के 2 या अधिक पुत्र हैं, जो अलग–अलग रहते हैं, उनमें से मात्र एक परिवार को ही अनुमन्यता प्रदान की जाएगी। बी0पी0एल0 सर्वेक्षण हेतु निर्धारित 13 बिन्दुओं के आधार पर सर्वेक्षणोंपरान्त मूल परिवार से split किए गए परिवारों में से जिस परिवार को सर्वाधिक नम्बर प्राप्त होंगे, उसे चिन्हित किया जाएगा। इस प्रकार के चिन्हित परिवारों में पंचायतों के लक्ष्यों के अनुसार आवासों का आवंटन किया गया है। इस प्रकार split किए गए परिवार को नया बी0पी0एल0 नम्बर आवंटित किया गया है। यह नम्बर पुराने बी0पी0एल0 नम्बर के आगे ''अ'' या ''ब'' (A या B) जोड़कर नया नम्बर आवंटित किया गया है। अतः ऐसे परिवार भी अनुमन्यता/पात्रता की श्रेणी में हैं।

1.5 वरीयता

योजना का लाभ निम्नांकित वरीयताक्रम से अनुमन्य किया जा सकेगाः–

(क) मैला ढोने वाले व्यक्तियों के परिवार, जिनमें पुनर्वासित व्यक्ति एवं पुनर्वासित बंधुआ मजदूर भी शामिल होंगे।

(ख) विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं सहित विषम परिस्थितियों वाली महिलाएं, अत्याचार से पीड़ित महिलाएं तथा ऐसी महिलाएं जिनके पति कम से कम 3 वर्षों से गुमशुदा हैं और ऐसे परिवार जिनके घर की मुखिया महिला हो।

(ग) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति (कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता)।

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता)।

(ड.) ट्रांसजेन्डर व्यक्ति।

(च) सशस्त्र कार्यवाही में मारे गए सेना/पैरामिलिट्री/पुलिस बल कर्मियों की विधवाएं और निकट संबंधी (चाहे बीपीएल न भी हों)।

(छ) अन्य बेघर बीपीएल परिवार।

वरीयता सूची में सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों को शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और अन्य व्यक्तियों के लिए उपर्युक्त दी गई वरीयता का पालन किया जाएगा।

1.6 वरीयता सूची को अन्तिम रूप दिया जाना

वर्ष 2014–15 में इन्दिरा आवास योजना हेतु तत्कालीन वरीयता सूची का प्रयोग रखा जाएगा। पंचवर्षीय वरीयता सूची को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करने और बसावटों एवं बिखरे हुए परिवारों के लिए निर्धारित लक्ष्य के आधार पर वार्षिक चयन सूची तैयार की जाएगी। वार्षिक सूची को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा की बैठक में जिलाधिकारी का नामिती भी उपस्थित होगा और निकाले गए नामों, यदि कोई हो, की सूची कारणों सहित चिन्हित की जाएगी। ग्राम सभा की यह बैठक 30 नवंबर तक संपन्न हो जानी चाहिए और तैयार सूची 31 दिसंबर से पहले जिला पंचायत को भेजी जाएगी, ताकि अनंतिम लक्ष्यों के आधार पर जिले की वार्षिक लाभार्थी सूची को अंतिम रूप दिया जा सके।

विकलांग व्यक्तियों तथा वयोवृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को इसके लिए विशेष रूप से सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

1.7 आवास हेतु अनुदान की राशि

वर्ष 2014–15 के लिए इन्दिरा आवास हेतु रू0 70,000/– अनुदान के रूप में अनुमन्य है। जनपद चन्दौली, सोनभद्र एवं मिर्जापुर को रु0 75,000/– अनुदान अनुमन्य हैं।

1.8 स्वीकृति पत्र जारी करना और प्रथम किश्त की रिलीज

ग्राम सभा की बैठक में, जिसमें लाभार्थी भी उपस्थित रहते हैं, निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी:–

(क) प्रत्येक लाभार्थी के पक्ष में स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक लाभार्थी को प्रथम किश्त जारी करने हेतु निधि अंतरण आदेश भी दिए जाएंगे। यह निधि प्रत्येक लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में अंतरित की जानी चाहिए। इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को नकद में किश्त जारी किए जाने की अनुमति नहीं है।

1.9 मकानों का आवंटन

विधवा/अविवाहित/अलग रह रहे व्यक्ति के मामले को छोड़कर इन्दिरा आवास योजना के मकानों का आवंटन संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम पर किया जाएगा। केवल महिला के नाम पर मकान आवंटित किया जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए कोटे के अंतर्गत चुने गए लाभार्थियों के मामले में केवल विकलांग व्यक्तियों के नाम से आवास आवंटन किया जाना चाहिए।

1.10 निर्माण

निर्माण कार्य लाभार्थी द्वारा स्वयं कराया जाएगा। मकानों के निर्माण में कोई ठेकेदार शामिल नहीं होगा। मकानों का निर्माण किसी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए।

1.11 डिजाइन एवं निर्माण मानक

कोई अनिवार्य डिजाइन नहीं है। विकल्प का चयन लाभार्थी पर निर्भर करता है। मकान के ले आउट का निर्णय भी लाभार्थी द्वारा किया जाना चाहिए, उत्तम ले–आउट के संबंध में सलाह दी जा सकती है। विकलांग व्यक्ति वाले परिवार के लिए मकान में सरल एवं निर्वाध आवागमन की सुविधा होनी चाहिए।

लाभार्थियों को दी जाने वाली किश्तों की संख्या दो है। प्रत्येक किश्त जारी किए जाने से पूर्व विनिर्दिष्ट अधिकारी स्थल का दौरा और निर्माण का सत्यापन करेगा जिसका ब्यौरा फोटोग्राफ के साथ कार्यक्रम की वेबसाइट (आवास सॉफ्ट) पर अपलोड किया जाएगा।

1.12 निर्माण की समय-सीमा

सामान्य तौर पर, मौसम तथा अन्य कारकों के अधीन निर्माण के चरण निम्नलिखित समय सीमाओं के भीतर पूरे किए जाएंगेः–

चरण 1 : लिंटर स्तर तक निर्माण – प्रथम किश्त जारी किए जाने की तारीख से अधिकतम नौ माह के अंदर

चरण 2 : आवास पूर्ण किया जाना – दूसरी किश्त जारी किए जाने की तारीख से अधिकतम नौ माह के अंदर

1.13 निर्माण पूरा किया जाना

किसी भी स्थिति में किसी मकान को पूरा करने में प्रथम किश्त की स्वीकृति की तारीख से दो वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। तथापि, चूँकि लाभार्थी बीपीएल श्रेणी से हैं जिन्हें मकान पूरा करने के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाने में प्रायः कठिनाई होती है, अतः विलंब के मामलों की निगरानी की जाएगी और लाभार्थियों को तीन वर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर मकान पूरा करने हेतु सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। निर्मित प्रत्येक मकान में इन्दिरा आवास योजना का लोगो, निर्माण का वर्ष, लाभार्थी का नाम आदि दर्शाते हुए डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए। इस मद पर होने वाले व्यय को योजना के तहत उपलब्ध निधि से पूरा किया जाएगा।

1.14 लाभार्थियों को भुगतान

लाभार्थियों को उनके बैंक/डाकघर खातों में भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 4 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रति परिवार 20,000 रु0 तक का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

1.15 तालमेल

(क) शौचालय

इन्दिरा आवास योजना के मकानों में निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण अनिवार्य है।

(ख) पेयजल

सभी इन्दिरा आवास योजना परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसी एक मकान या मकानों के समूह के लिए मनरेगा योजना के तहत पेयजल कुओं का निर्माण भी किया जा सकता है।

(ग) बिजली

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) या राज्य की किसी अन्य योजना के अंतर्गत बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए और जिन क्षेत्रों में बिजली न हो, वहां सोलर लाइट उपलब्ध कराई जाएगी।

(घ) भूमि विकास

अलग–अलग लाभार्थियों या बसावटों की भूमि का विकास किया जाएगा। इस योजना का इस्तेमाल मृदा संरक्षण और सुरक्षा, बायोफेन्सिंग, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, खेल के मैदानों के निर्माण इत्यादि के लिए किया जा सकता है।

(कृ) सामाजिक सुरक्षा

इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं। इसलिए उन्हें स्वतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का लाभ प्रदान किया जाएगा।

(च) सड़क संपर्क

मनरेगा योजना या अन्य योजनाओं के माध्यम से खड़ंजों या सड़कों या सीढ़ियों के रूप में सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जा सकता है।

1.16 पंचायतों की भूमिका

ग्राम पंचायतों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, जिसमें निम्न शामिल हैं:

(क) ग्राम पंचायतों द्वारा पांच वर्षों के लिए तैयार की गई प्राथमिकता सूची तथा लाभार्थियों की वार्षिक चयनित सूची के चयन हेतु बुलाई गई ग्राम सभा की बैठक में गांव के लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ख) ग्राम पंचायतें जनता में योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार के विभिन्न फील्ड स्तरीय पदाधिकारियों, भारत निर्माण वालेन्टियर्स, स्वयं सहायता समूहों तथा सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाएंगी।

(ग) लाभार्थियों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर अथवा ग्राम पंचायतों के कलस्टर के स्तर पर लाभार्थियों की बैठक बुलाएंगी और लाभार्थियों को मकानों के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देंगी तथा विभिन्न स्रोतों से सहायता उपलब्ध कराएंगी।

(घ) ग्राम पंचायतें सोशल आडिट टीमों को सोशल आडिट कराने में सक्रिय रूप से सहायता देंगी।

1.17 शिकायत निवारण

निम्न पर विचार करने के लिए, ब्लॉक और जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए:–

(क) लाभार्थियों के चयन में अनियमितताएं

(ख) किश्तें जारी करने में अनियमितताएं

(ग) सहयोग सेवाओं का प्रावधान न होना

(घ) तालमेल संबंधी योजनाओं का प्रावधान न होना

(ड.) लाभार्थी द्वारा चयन किए गए डिजाइन/निर्माण प्रौद्योगिकी को स्वीकार नहीं करना।

1.18 इन्दिरा आवास योजना का सोशल आडिट किया जाना

(क) वर्ष के प्रारंभ में सोशल आडिट के लिए एक समय सारणी इस तरह तैयार की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक सोशल आडिट कराई जा सके।

(ख) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के माध्यम से सोशल आडिट टीम को इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के सभी ब्यौरे, जैसे दिशा–निर्देश, पंचवर्षीय प्राथमिकता सूची, वार्षिक चयन सूची, लाभार्थी की पिछली सूची, किए गए भुगतान, उपलब्ध कराई गई सहायता सुविधाएं, विभिन्न स्तरों पर किए गए निगरानी दौरे, किए गए मुख्य निरीक्षण इत्यादि उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) सोशल आडिट टीम लाभार्थियों के साथ प्रक्रियाओं और प्रक्रियाविधियों के संबंध में निम्न का सत्यापन करेगी:–

1. Split के आधार पर चयनित परिवार, यदि कोई हो, और उसके औचित्य के साथ वर्ष के लिए लाभार्थियों का चयन
2. मकानों के निर्माण में प्रगति
3. मकानों के निर्माण की गुणवत्ता
4. वितरित किए गए आवास स्थलों की गुणवत्ता
5. भुगतानों का परिणाम और समय–सीमा
6. लाभार्थियों द्वारा डीआरआई ऋण सहित प्राप्त किए गए बैंक ऋण
7. लाभार्थियों द्वारा लिए गए अन्य ऋण
8. उपलब्ध कराई गई सहयोग सेवा
9. शिकायतें और उनका उचित समय पर निपटान

(घ) उपरोक्त उल्लिखित सत्यापन के पश्चात ग्राम सभा के एक वरिष्ठ व्यक्ति, जो ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी से न जुड़ा हो, की अध्यक्षता में सोशल आडिट टीम के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की बैठक की जाएगी। सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में निगरानी के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेगा। ग्राम सभा की समस्त कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी की जाएगी और उपयुक्त रूप से वीडियोग्राफी को कम्प्रेस कर वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

(कृ) सोशल आडिट रिपोर्ट स्थानीय भाषा में तैयार की जाएगी और सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक के अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी। ग्राम पंचायत और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों द्वारा सोशल आडिट के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी और की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयुक्त, ग्राम्य विकास तथा सोशल आडिट निदेशालय को भेजी जाएगी। इसे आगामी सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

1.19 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सोशल आडिट हेतु निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी :-

प्रपत्र – सो.आ.-इ

ग्राम पंचायत का नाम :-

क्र0	बिन्दु	सूचना
1.	ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या	
2.	कुल परिवारों में से बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या	
2.1	बी0पी0एल0 सूची से बनी स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों की संख्या	
2.2	स्थाई पात्रता सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या	
2.3	स्थाई पात्रता सूची में सामान्य परिवारों की संख्या	
2.4	अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की सूची, जो स्थाई पात्रता सूची में नहीं है, किन्तु बी.पी.एल. सूची में है	सूची संलग्न है
3.	स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों सूची	सूची संलग्न है
4.	गत वित्तीय वर्ष के चयनित लाभार्थियों की सूची	सूची संलग्न है
5.	गत वित्तीय वर्ष में कितने आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है?	
5.1	गत वित्तीय वर्ष में जिन आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उनमें से पूर्ण आवासों की संख्या	
5.2	गत वित्तीय वर्ष के अपूर्ण आवासों की संख्या	
5.3	आवास अपूर्ण होने का कारण	
6.	लाभार्थीवार अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण	संलग्न है
7.	प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित धनराशि की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति	संलग्न है
8.	ऐसे लाभार्थी परिवारों की संख्या जिन्हें अब तक धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई?	
9.	धनराशि उपलब्ध न होने का कारण?	

हस्ताक्षर
खण्ड विकास अधिकारी/
सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी)

अध्याय–2
इन्दिरा आवास योजना
सोशल आडिट : परीक्षण के बिन्दु/ड्राफ्ट प्रतिवेदन
(सोशल आडिट टीम हेतु)

ग्राम पंचायत :..... विकास खण्ड :.....

जनपद :..... राज्य – उत्तर प्रदेश

वर्ष : (जिस वर्ष के कार्यों का सोशल आडिट किया जा रहा है) : 2014– 2015

2.1 सामान्य सूचनाः

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भरा जाएगा।

क्र0	बिन्दु	सूचना
1.	ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या	
2.	कुल परिवारों में से बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या	
2.1	बी0पी0एल0 सूची से बनी स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों की संख्या	
2.2	स्थाई पात्रता सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या	
2.3	स्थाई पात्रता सूची में सामान्य परिवारों की संख्या	
2.4	अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की सूची, जो स्थाई पात्रता सूची में नहीं है, किन्तु बीपी.एल. सूची में है	सूची संलग्न है
3.	स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों सूची	सूची संलग्न है
4.	गत वित्तीय वर्ष के चयनित लाभार्थियों की सूची	सूची संलग्न है
5.	गत वित्तीय वर्ष में कितने आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है	
5.1	गत वित्तीय वर्ष में जिन आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उनमें से पूर्ण आवासों की संख्या	
5.2	गत वित्तीय वर्ष के अपूर्ण आवासों की संख्या	
5.3	आवास अपूर्ण होने का कारण	
6.	लाभार्थीवार अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण	संलग्न है
7.	प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित धनराशि की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति	संलग्न है
8.	ऐसे लाभार्थी परिवारों की संख्या जिन्हें अब तक धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई	
9.	धनराशि उपलब्ध न होने का कारण	

2.2 सोशल आडिट टीम द्वारा परीक्षणीय बिन्दुः–

लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति/ श्रेणी यथा– अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अल्पसंख्यक/अन्य	बी.पी.एल. क्रमांक	स्थाई प्रतीक्षा सूची क्रमांक	अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग में स्प्लिट किए गए परिवार की स्थिति में नया आवंटित बी.पी. एल. क्रमांक	क्या वरीयता क्रम का उल्लंघन किया गया है, यदि हॉ तो कारण
1	2	2	3	5	6	7

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर :

1..... 2..... 3.....

4..... 5.....

परिवार अर्ह है अथवा नहीं, यदि नहीं तो कारण	आवास की स्थिति		आवास अपूर्ण होने का कारण	आवास की गुणवत्ता कैसी है– असंतोषजनक या सामान्य या उत्कृष्ट	पट्टे की भूमि पर यदि आवास निर्मित है, तो क्या स्थल उपयुक्त है?	क्या आवास प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अनियमित रूप से कोई धनराशि की मांग या धनराशि लिए जाने की शिकायत है?	निर्मित आवास में स्वयं / परिवार निवास कर रहा है अथवा नहीं
	पूर्ण	अपूर्ण					
8	9		10	11	12	13	14

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर :

1..... 2..... 3.....

4..... 5.....

क्या दूसरी किश्त प्राप्त करने में कोई कठिनाई हुई? यदि हॉ, तो विवरण	क्या लाभार्थी ने आवास निर्माण हेतु डीआरआई ऋण सहित कोई बैंक ऋण लिया है?	लाभार्थी द्वारा लिया गया अन्य ऋण	प्रदत्त सहयोग सेवाएँ	शौचालय हेतु धनराशि प्राप्त करने का माध्यम		शौचालय निर्मित है या नहीं? यदि नहीं तो विवरण।	शौचालय उपयोग में है अथवा नहीं?
				बैंक खाता	सामग्री के रूप में		
15	16	17	18	19		20	21

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर :

1..... 2..... 3.....

4..... 5.....

आवास में नाम पट्टिका है अथवा नहीं?	क्या लाभार्थी को राजीव गांधी विद्युत योजना या किसी अन्य योजना से विद्युत कनेक्शन दिया गया है?	क्या आवास के आसपास मानकों के अनुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध है?	क्या लाभार्थी को मनरेगा से अनुमन्य व्यक्तिगत लाभार्थ परियोजनाओं से लाभान्वित किया गया है?	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की स्थिति (प्रस्तुत कर दी गई है या अभी प्रस्तुत की जानी है)	क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हॉ, तो क्या शिकायत का सही और समय से निराकरण हुआ है?	लाभार्थी के हस्ताक्षर
22	23	24	25	26	27	28

सोशल आडिट के दौरान सक्रिय रूप से प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों के नाम

नामों में प्राथमिकता–

1. श्रमिक महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति/सामान्य)
2. अन्य महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति/सामान्य)
3. श्रमिक पुरूष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति/सामान्य)
4. अन्य पुरूष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति/सामान्य)

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल न0
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर :

1..... 2..... 3.....

4..... 5.....

अध्याय–3

इन्दिरा आवास योजना के सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक के कार्यवृत्त का नमूना

आज दिनाँक..... को सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री/सुश्री.....ने की। बैठक में सोशल आडिट टीम द्वारा तैयार ड्राफ्ट प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यात्मक बिन्दुओं/इंगित अनियमितताओं पर बहस एवं सम्यक विचार–विमर्श हुआ। सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त विभिन्न प्रकरणों में मत स्थिर किया गया। बैठक में जिन मामलों को सुलझाया जा सकता था उनका निस्तारण किया गया और शेष अनियमितताओं के प्रकरणों में संस्तुति की गई।

सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में हुई बहस/विचार–विमर्श के पश्चात् विभिन्न विषयों पर निष्कर्ष निम्नवत् उल्लिखित है:–

1. परिवारों के चयन में वरीयताक्रम का उल्लंघन –

सोशल आडिट टीम ने अपने ड्राफ्ट प्रतिवेदन में इन्दिरा आवास हेतु परिवारों के चयन में निम्नांकित परिवारों, जिनका नाम बी0पी0एल0/स्थाई प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित नहीं है, को भी आवास दिए जाने का उल्लेख किया है:–

1. .....
2. .....
3. .....

ग्राम सभा की बैठक में उक्त नामों पर विचार–विमर्श किया गया और उपस्थित सदस्यों/जिम्मेदार कर्मचारियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

1. श्री/श्रीमती.....ने अवगत कराया कि.....
   .....
2. श्री/श्रीमती.....ने बताया कि .....
   .....
3. जिम्मेदार कर्मचारी श्री/श्रीमती..... ने स्थिति स्पष्ट की कि.....
   .....

विचारोपरान्त उक्त बिन्दुओं पर सोशल आडिट ग्राम सभा ने निम्नांकित मत स्थिर किया तथा संस्तुतियाँ की:–

1. .....
2. .....
3. .....

2. लाभार्थी के अर्हता की स्थिति–

3. आवास का निर्माण पूर्ण न होना –

4. आवास की गुणवत्ता की स्थिति –

5. आवास निर्माण यदि पट्टे की भूमि पर हुआ है तो स्थल के उपयोगिता की स्थिति –

6. आवास की स्वीकृति हेतु किसी व्यक्ति द्वारा धन की उगाही या अवैध वसूली करने का प्रकरण–

7. आवास में निवास की स्थिति–

8. आवास की दूसरी किश्त प्राप्त करने में लाभार्थी को हुई कठिनाई–

9. डी.आर.आई. ऋण प्राप्त करने में आई कठिनाई –

10. अन्य ऋण प्राप्त करने में आई कठिनाई –

11. आवास हेतु सहयोग सेवाएं मिलने की स्थिति –

12. शौचालय की धनराशि चेक द्वारा या सामग्री के रूप में प्राप्त होने की स्थिति–

13. शौचालय के निर्मित होने की स्थिति–

14. शौचालय के पूर्ण होने, परन्तु उपयोग में न होने की स्थिति–

15. आवास में लाभार्थी के नाम पट्टिका की स्थिति–

16. आवास में विद्युतीकरण की स्थिति–

17. आवास के आस–पास मानक के अनुसार पेयजल सुविधा की स्थिति–

18. आवास के लाभार्थी को मनरेगा से अनुमन्य व्यक्तिगत लाभार्थ परियोजनाओं से लाभान्वित होने की स्थिति–

19. आवास पूर्ण होने पर भी कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र जारी न किया जाना –

20. आवास अपूर्ण होने पर भी कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाना –

21. क्या आवास के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि प्राप्त है, तो उसके निस्तारण की स्थिति –

नोटः– बिन्दु 1 पर कार्यवाही लिखे जाने का तरीका नमूने के रूप में दर्शाया गया है। उसी प्रकार अन्य सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही लिखी जानी है।

हस्ताक्षर

ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर

हस्ताक्षर

अध्यक्ष,
सोशल आडिट ग्राम सभा

अन्य सदस्य जो सोशल आडिट ग्राम सभा में उपस्थित रहे

1. ..... 2. .....

3. ..... 4. .....

5. ..... 6. .....

संख्या **दिनाँक**

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी .....।
2. खण्ड विकास अधिकारी.....।
3. ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत.....।

ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर

ब्लाक :.....

जनपद :.....

अध्याय–4

इन्दिरा आवास योजना
सोशल आडिट का निष्कर्ष एवं संस्तुतियां

(ब्लाक सोशल आडिट को–आर्डिनेटर हेतु)

ग्राम पंचायत :.....विकास खण्डः.....

जनपद :.....राज्य – उत्तर प्रदेश

सोशल ऑडिट ग्राम सभा बैठक की तिथि :.....

वर्ष (जिस वर्ष का सो0आ0 किया गया है) :.....

सामान्य सूचना

क्र.सं.	बिन्दु	सूचना
1.	ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या	
2.	ग्राम पंचायत में बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या	
3.	बी0पी0एल0 सूची से बनी स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों की संख्या	
4.	जिस वित्तीय वर्ष का सोशल आडिट किया जा रहा है उस वर्ष इन्दिरा आवास का लक्ष्य	
5.	स्थाई पात्रता सूची से लिए गए परिवारों की संख्या	
5.1	बी0पी0एल0 सूची से लिए गए परिवारों की संख्या	
5.2	ऐसे परिवारों की संख्या जो किसी भी सूची में नहीं हैं	
5.3	स्थाई पात्रता सूची से वरीयताक्रम का उल्लंघन कर आवास दिए गए परिवारों की संख्या	
5.4	यदि वरीयता क्रम का उल्लंघन हुआ है, तो उसका कारण	
6.	जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षक का नाम	
7.	सोशल आडिट टीम के सदस्यों का नाम– 1. 2. 3. 4. 5.	

(BSAC का नाम एवं हस्ताक्षर)

2. सोशल आडिट ग्राम सभा बैठक के दौरान लिए गए निर्णय/संस्तुत कार्यवाही

क्र.सं	प्रकरण	मामलों की सं0	उत्तरदाई व्यक्ति, यदि कोई हो	सो0आ0 ग्राम सभा बैठक में संस्तुति
1	वरीयता क्रम का उल्लंघन होना			
2	इन्दिरा आवास आबंटित परिवार का अनर्ह होना			
3	आवास का निर्माण पूर्ण न होना			
4	आवास की गुणवत्ता असंतोषजनक होना			
5	आवास हेतु पट्टे की भूमि का उपयुक्त न होना			
6	आवास आबंटन में अनियमित रूप से धनराशि की मांग करना			
7	निर्मित आवास में लाभार्थी का स्वयं निवास न करना			
8	दूसरी किश्त प्राप्त करने में लाभार्थी को कठिनाई होना			
9	डी0आर0आई0 ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होना			
10	अन्य ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का होना			
11	आवास हेतु सहयोग सेवाएं न मिलना			
12	शौचालय निर्माण में धनराशि के स्थान पर सामग्री प्राप्त कराया जाना			
13	आवास में शौचालय का निर्मित न होना			
14	आवास में शौचालय पूर्ण है परन्तु उपयोग में न होना			
15	आवास में नाम पट्टिका न होना			
16	आवास के लाभार्थी को राजीव गांधी–विद्युत योजना/ किसी अन्य योजना से विद्युतीकरण का लाभ न मिलना			
17	आवास के आस–पास मानकों के अनुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध न होना			
18	अर्ह लाभार्थी को मनरेगा से अनुमन्य व्यक्तिगत लाभार्थ परियोजनाओं का लाभ न मिलना			
19	आवास पूर्ण होने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी न किया जाना			
20	आवास अपूर्ण होने पर भी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना			
21	शिकायत का ठीक ढंग और समय से निराकरण न होना			

(BSAC का नाम एवं हस्ताक्षर)

ग्राम सभा की खुली बैठक

दस्तावेजों का मिलान

कार्यस्थल का भ्रमण

श्रमिको से वार्ता

कार्यो के सम्बन्ध में समुदाय के विचार

सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक

सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0

7वां तल, पी0सी0एफ0 भवन, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ- 226001

Phone:- 0522-2630877,2630878, Fax:-0522-4003787

E-mail: socialauditup@yahoo.in

Website: www.socialauditup.in

एवं

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0

जनसहभागिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही केन्द्र

इन्दौराबाग, बख्शी का तालाब, लखनऊ - 226202

के द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित

दूरभाषः 05212-298291, 298292 फैक्स - 05212-298209

E-mail: sirdup2005@rediffmail.com

Website: www.sirdup.in